

प्रपत्र-8

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कुण्डिया

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुण्डिया
व भू.अ.नि. गि.पु.०५ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नायब
तहसीलदार गि.पु.०५ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुण्डिया तहसील रेलभगर व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2078 में खाता संख्या 83 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कुण्डिया	83	कृष्णा पुत्री अशोक कुमार वंगर SBBJ शाखा गि.पु.०५	कृष्णा पुत्री अशोक कुमार वंगर SBI शाखा गि.पु.०५

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलभगर

क्रमांक:- 338

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार गि.पु.०५ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

दिनांक :- 11/10/25

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,